महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

रु०वि०वि०/ 5०ए०ख०/2021/036 दिंनाक: 17-08-2021

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र दिंनाक 31/07/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो विश्वविद्यालय की वेब साइट पर दिनांक 12/08/2021 को अपलोड किया गया था, एवं पत्र के साथ विभिन्न शासनादेशों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर से विस्तृत सुझाव/ दिशानिर्देश इस आशय से प्रेषित किये गए थे कि महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2021 के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया के संचालन में कोई कठिनाई न हो

1. परन्तु कतिपय महाविद्यालयों में बी.कॉम में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कुछ संशय है। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों यथा बी.ए. /बी. एस. सी. /बी.कॉम. में प्रवेश के सम्बन्ध में विषय संयोजन सम्बन्धी नियम एक समान है अर्थात : -

i. यदि कोई छात्र वाणिज्य संकाय का चयन करता है तो उक्त छात्र को दो मुख्य विषय (मेजर सब्जेक्ट) अनिवार्य रूप से स्वयं के संकाय से चयन करना होगा।

ii. तीसरा मुख्य विषय वह स्वयं के संकाय से अथवा किसी अन्य संकाय से चयनित कर सकता है।

iii. यदि कोई छात्र तीसरा मुख्य विषय स्वयं के संकाय से चयनित करता है। तो चौथा गौण पेपर (माइनर इलेक्टिव पेपर) किसी अन्य संकाय से चयनित करना होगा।

iv. यदि कोई छात्र तीसरा मुख्य विषय किसी अन्य संकाय से चयनित करता है तो चौथा गौण पेपर (माइनर इलेक्टिव पेपर) स्वयं के संकाय से अथवा किसी अन्य संकाय से चयनित कर सकता है।

v. अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में तीसरे मुख्य विषय अथवा चौथे गौण पेपर (माइनर इलेक्टिव पेपर) में से कोई एक अन्य संकाय से चयनित करना होगा।

vi. उक्त सुझाव /दिशानिर्देश समस्त त्रिवर्षीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए एक सामान है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वन के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि यदि शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं किसी विषय के कॉमन मिनिमम सिलेबस में उल्लिखित व्यवस्था में कोई विभेद है, तो उक्त स्थिति में शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या

Scanned with CamScanner

1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी0सी0 लखनऊ, दिनाकं 13 जुलाई, 2021 को आधार मानकर एवं उक्त के अनुरूप ही समस्त प्रवेश सुनिश्चित किये जायेंगे ।

3. यह भी स्पष्ट करना है कि समस्त संस्थानों में जहाँ चॉइस बेस्ड क्रडिट सिस्टम (CBCS) पद्धति का अनुपालन होता है, सामान्यतयः इलेक्टिव पेपर प्रवेश के पश्चात प्रत्येक संस्थान अपने संस्थान में उपलब्ध विषयों / संसाधनों के आधार पर छात्रों को विषयों / प्रश्नपत्रों के विकल्प उपलब्ध कराते हुए आवंटित करते हैं उक्त के अनुरूप ही समस्त महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे तीन मुख्य विषयों (मेजर सब्जेक्ट्स) को आधार मानकर प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करे । गौण इलेक्टिव पेपर (माइनर इलेक्टिव पेपर) जो छात्र द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में जिसे किसी एक में चुना जाना है का चुनाव एवं आवंटन महविद्यालय द्वारा प्रवेश के पश्चात अपने संस्थान में उपलब्ध विषयों में से विकल्प प्रदान कर छात्रों से चॉइस लेकर प्रवेश के पश्चात आवंटन किया जा सकता है ।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3 ×4 = 12) (कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा। साथ ही स्नातक स्तर के प्रत्यके विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा। **यदि महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है तो UGC, स्वयं अथवा MOOCS इत्यादि के माध्यम से छात्रों को उक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम चयन करने की छूट महाविद्यालय प्रदान कर सकता है** । यह भी अवगत कराना है कि रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) एवं एक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) के सम्बन्ध में सक्षम समिति द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिसे महाविद्यालयों को कक्षा संचालन के पूर्व अवगत करा दिया जायेगा।
5. कतिपय महाविद्यालयों में शासनादेश में वर्णित "छात्र के स्वयं के संकाय " का अभिप्राय गलत समझा जा रहा है । छात्र के स्वयं के संकाय का तात्पर्य उस संकाय से है जिस संकाय से छात्र दो मुख्य विषयों का चयन करता है न कि उस छात्र की इंटरमीडिएट की स्ट्रीम से है । छात्र की किसी पाठ्यक्रम हेतु अहर्ता पूर्व की भांति उस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियमावली में वर्णित व्यस्था के अनुरूप ही निर्धारित होगी ।

उक्त के अनुरूप ही समस्त महाविद्यालय प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
17/08/2021
(डॉ. राजीव कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : –

1. समस्त प्राचार्य /प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय
2. श्री रविंद्र गौतम , प्रभारी वेबसाइट , को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. वैयक्तिक सचिव, कुलपति जी को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ

Scanned with CamScanner